

न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना



दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-14/2017-18

न्यूटेक रेसीडेन्सिया प्रा०लि० एवं अन्य

बनाम

मे० दीना महावीर री-रौलिंग प्रा० लि०

Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	<p style="text-align: center;">आंशिक संशोधित आदेश</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21/02/2018 को आवेदन-पत्र दाखिल किया गया। जिसका अवलोकन किया।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने आवेदन-पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि उक्त वाद में इस न्यायालय से दिनांक 13.02.2018 को पारित आदेश में आंशिक टंकण भूल हो गया है, जो निम्नवत है :-</p> <ol style="list-style-type: none">1. प्रथम पृष्ठ 01 पर 9 (नौ) धुर के स्थान 9 (कठ्ठा) होना चाहिए।2. पृष्ठ सं० 03 पर दिनांक 13.05.2014 के स्थान 03.05.2017 होना चाहिए।3. पृष्ठ सं० 04 पर 494/2014 के स्थान पर 449/2014 होना चाहिए। <p>आवेदक के आवेदन को अवलोकन किया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के आधार पर सिविल-प्रक्रिया संहिता-1908 के धारा-152 एवं 153 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में टंकण भूल को संशोधित किया जाता है।</p> <ol style="list-style-type: none">1. प्रथम पृष्ठ 01 पर 9 (नौ) धुर के स्थान 9 (नौ) कठ्ठा पढ़ा जाय।2. पृष्ठ सं० 03 पर दिनांक 13.05.2014 के स्थान 03.05.2017 पढ़ा जाय।3. पृष्ठ सं० 04 पर 494/2014 के स्थान पर 449/2014 पढ़ा जाय। <p>लेखाधित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"> (वज्रैन उदीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p> <p style="text-align: center;"> (वज्रैन उदीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p>	